



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-53/2022-357

दिनांक : 19.05.2023

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "इको टूरिज्म" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी पार्क, हरिणा, जमशेदपुर में इको टूरिज्म के विकास कार्य हेतु **रु0 996.640 लाख (नौ करोड़ छियान्वे लाख चौंसठ हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-08/2019-39/स्वी0 व0प0 दिनांक 29.03.2023 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-08/2019-03/आ0 व0प0 दिनांक 28.04.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-46-इको टूरिज्म योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 996.640 लाख (नौ करोड़ छियान्वे लाख चौंसठ हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101460103	398.660
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101460323	597.980
कुल :-		996.640

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101460103, 19S240601101460323, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998, पत्रांक 1800/वि0 दिनांक 15.07.2003 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी को मार्गदर्शन किया जाएगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
10. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।
- (v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन के पूर्व किये जा रहे कार्यो पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- (vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।
- (vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।
- (ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

19. विभागीय संकल्प संख्या 4/यो0ब0-42/2010-3916 दिनांक 13.09.2012 द्वारा निर्गत संकल्प में सिविल कार्यों की अधिसीमा रू0 50.00 लाख (पचास लाख रुपये) निर्धारित की गई है। अतः समर्पित प्रस्ताव में वृक्षारोपण से संबंधित कार्य विभागीय दर के अनुसार संपादित किये जायेंगे एवं रू0 50.00 लाख (पचास लाख रुपये) की लागत से अधिक सिविल कार्य को निविदा के माध्यम से या भवन निर्माण विभाग के माध्यम से संपादित किये जायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-53/2022-357 दिनांक-19.05.2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय-वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-53/2022-357 दिनांक-19.05.2023

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली "इको टूरिज्म" योजना (अन्य व्यय)
के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी पार्क, हरिणा, जमशेदपुर के विकास कार्यों का उप आवंटित
भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर

(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
वित्तीय वर्ष 2023-24					
3	Gateway I (Part)	29.410	11.764	17.646	29.410
4	Repair of Existing Permanent Structures				
4.1	Repairs	49.352	19.741	29.611	49.352
4.2	Sand stone	49.629	19.852	29.777	49.629
4.3	Cultural center	47.893	19.157	28.736	47.893
4.4	Natural stone work	42.179	16.872	25.307	42.179
4.5	3 Repair of Existing Permanent Structures 1st phase	46.662	18.665	27.997	46.662
4.6	3 Repair of Existing Permanent Structures 2nd phase	46.662	18.665	27.997	46.662
4.7	3 Repair of Existing Permanent Structures 3rd phase	46.662	18.665	27.997	46.662
5	3 Bio Toilet	25.717	10.287	15.430	25.717
6	5 Borewell	25.490	10.196	15.294	25.490
7	Boundary Wall with Grill				
7.1	Boundary wall with grill form A-B	42.348	16.939	25.409	42.348
7.2	Boundary wall with grill form B-C	44.956	17.982	26.974	44.956
8	Landscaping and Horticulture		0.000	0.000	0.000
8.1	Preparation of land 1st phase	44.403	17.761	26.642	44.403
8.2	Preparation of land 2nd phase	46.347	18.539	27.808	46.347
9	Electrification Works	43.358	17.343	26.015	43.358
10	Gen set (45kva) with Room	27.517	11.007	16.510	27.517
11	Tower for Monitoring	34.072	13.629	20.443	34.072
12	Ghat	49.620	19.848	29.772	49.620
13	Interpretation Center	49.546	19.818	29.728	49.546
14	Fencing (8'-0") Height	33.224	13.290	19.934	33.224
15	Tensile Shed				
15.1	8 Shed at park area	47.004	18.802	28.202	47.004
15.2	6 Shed at different locations	35.253	14.101	21.152	35.253
16	Souvenir Display				
16.1	4 Souvenir park area	44.669	17.872	26.797	44.669
16.2	4 Souvenir different location	44.667	17.867	26.800	44.667
योग (वित्तीय वर्ष 2023-24) :-		996.640	398.660	597.980	996.640

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-53/22/357

दिनांक - 19-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110146000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते	27703	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	39,866,000.00 रुपये तीन करोड अठानवे लाख छासठ हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110146000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	27704	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	59,798,000.00 रुपये पाँच करोड सित्तानवे लाख अठानवे हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये नौ करोड छयानवे लाख चौसठ हजार

99,664,000.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. SECY DEV. JHARKHAND